# कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जून २०१८ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

I. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, में दिनांक 21.06.2018 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस कार्यक्रम में इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

II. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए दिनांक 15.05.2018 से 15.06.2018 तक ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया।

III. निदेशक (कैंटीन) कार्यालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के मानकों पर कैंटीन के कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने में एफएसएसएआई को सुगम बनाया ताकि इस कानून और सामान्य स्वास्थ्य-विज्ञान के अनुपालन में सुधार किया जा सके।

IV. जून माह के दौरान आईएसटीएम में 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 14 सीएसएस सीटीपी (03 स्तर-घ, 06 एएसओडीआर, 02 स्तर-क, स्तर-ई, 02 स्तर-ख और 01 स्तर-क) तथा 06 सीएसएसएस-सीटीपी (02 एसडीआर-29 और 30 स्तर-III-28, 02 स्तर स्तर-II-33 और 34 एवं स्तर-IV-11) कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या 1240 थी।

V. महाराष्ट्र के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की पदोन्नति से संबंधित अधिसूचना दिनांक 15.06.2018 को जारी की गई थी।

VI. श्री शरद कुमार, आईपीएस (हरियाणाः1979) (सेवानिवृत्त) को दिनांक 08.06.2018 के नियुक्ति अधिपत्र के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग में उनके पदभार संभालने की तारीख से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु होने, जो भी पहले हो, तक सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया।

VII. यूडी ग्रेड एलडीसीईई-2015 में सफल हुए दो (02) (एसएसए) उम्मीदवारों तथा एलडी ग्रेड एलडीसीईई-2016 में सफल हुए तिरानवे (93( उम्मीदवारों को दिनांक 19.06.2018 के कार्यालय ज्ञापन के तहत नामित किया गया।

VIII. दिनांक 29.06.2018 की अधिसूचना संख्या 24011/01/2016-स्था.(ख) के तहत श्री संजय वर्मा, आईडीएएस (1998( की 21 जून, 2018 से 30 जून, 2020 तक, अथवा अगले आदेश तक सदस्य, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के रूप में नियुक्ति के संबंध में माननीय राष्ट्रपति का अनुमोदन प्रदान किया गया।

IX. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए श्री अरविंद सक्सेना, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग की 20 जून, 2018 से अगले आदेश तक अथवा 07 अगस्त, 2020 को सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल के पूरा होने जो भी पहले हो तक नियुक्ति के संबंध में दिनांक 07.06.2018 की अधिसूचना संख्या 39019/05/2018 स्था.(ख) है के तहत माननीय राष्ट्रपति का अनुमोदन प्रदान किया गया।

X. निशक्त संतान के संबंध में संतान देखभाल छुट्टी लेने के लिए 22 वर्ष की आयु सीमा को हटाने के लिए नियम 43-ग में संशोधन किया गया था। दिनांक 06.06.2018 की राजपत्रित अधिसूचना सं.सा.का.नि. 554 के तहत यह भी निर्णय लिया गया था कि एक समय में पांच दिन से कम की अवधि की संतान देखभाल छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी।

XI. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' और 'ख' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में 14 मामलों (3 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक एवं 11

कार्यपालक निदेशक) में नियुक्तियों का अनुमोदन किया है। इसके अलावा, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्ष/सदस्य की चौदह (14( नियुक्तियों, स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यपालकों की चार (4) नियुक्तियों, समयपूर्व प्रत्यावर्तन के सात (07) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिवों की नियुक्ति के दो (2( प्रस्तावों, मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति के चार (4( प्रस्तावों, समय विस्तार के छह (6( प्रस्तावों, कार्यकाल को कम करने के तीन (3( प्रस्तावों को मंत्रिमंडल सचिव/एसीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 16 अधिकारियों को केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव पर प्रतिधारित किया गया है।

XII. दिनांक 20.06.2018 को नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के सहयोग से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में 60 कर्मचारियों ने रक्तदान किया।

XIII. 2016 बैच के आईएएस अधिकारियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभागों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 02.07.2018 से 28.09.2018 तक 13 सप्ताह की अवधि हेतु तैनात करने के लिए आदेश (दिनांक 21 जून, 2018 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 31/9/2018-ईओ (एमएम-I के तहत) जारी किया गया। इसके साथ ही उन्हें आवास आवंटित करने का आदेश दिनांक 22.06.2018 को जारी किया गया। इसके अलावा, उनके प्रशिक्षण और आवास से संबंधित प्रारंभिक कार्य भी उचित तत्परता से किया गया।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए-

क) राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं और टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन के रूप विशेष वेतनवृद्धि प्रदान करने संबंधी दिनांक 11.06.2018 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/1/2017-स्था. (वेतन-I) जारी किया गया।

ख) समयोपरि भत्ते पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन संबंधी अनुदेश दिनांक 19.06.2018 के का.ज्ञा.सं. ए-27016/03/2017-स्था. (एल) के तहत जारी किए गए।

ग) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में जारी किए गए दिनांक 15.07.2011 के अंतिम निर्णय और आदेश के कारण की गई विशेष अनुमति अपील (सी) सं. 30621/2011 तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के कारण की गई विशेष अनुमति अपील (सी) सं. 31288/2017 और अन्य संबंधित मुद्दों में अंतरिम आदेशों/निदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 15.06.2018 के का.ज्ञा.सं. 36012/11/2016-स्था. (आरक्षण-I) (पार्ट-II) क् तहत जारी किए गए।

घ) नए भर्ती किए गए उनहत्तर (69) आशुलिपिकों द्वारा दिनांक 15.06.2018 को एसडीआर प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत दिनांक 18.06.2018 से मंत्रालयों/विभागों में उनकी तैनाती।

ड.) अध्यक्ष (कैट,पीबी); अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (डब्ल्यूबीएटी) एवं डब्ल्यूबीएटी में एक प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति।